शस्त्र लाइसेंस पर बार-बार पूछे गए प्रश्न

प्रश्न 1. मैं शस्त्र लाइसेंस के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: शस्त्र लाइसेंस के लिए शस्त्र नियमावली, 1962 के अंतर्गत दिए गए "**फॉर्म क**" में आवेदन किया जा सकता है। यह एकमात्र फॉर्म सभी प्रकार के लाइसेंसों के लिए प्रयोग किया जाता है। उक्त फॉर्म को इस वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन को सहायक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिलाधीश/उपायुक्त/पुलिस आयुक्त के शस्त्र लाइसेंसिंग कार्यालय में भेजा जाना होता है।

प्रश्न 2. मुझे अपने शस्त्र लाइसेंस संबंधी आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता है?

उत्तर : लाइसेंसिंग प्राधिकारी शस्त्र लाइसेंस की प्रकृति तथा आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रकार दस्तावेजों की मांग कर सकता है। तथापि, पता प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, और लाइसेंस मांगने वाला जिस प्रकार का शस्त्र रखने का इच्छुक हो उसके वैध स्रोत तथा प्रकृति को सिद्ध करने वाले दस्तावेज और पासपोर्ट आकर के दो नवीनतम फोटोग्राफ अवश्य भेजे जाएं।

प्रश्न 3. प्रतिबंधित बोर तथा गैर-प्रतिबंधित बोर शस्त्र कौन से हैं?

उत्तर : शस्त्र नियमावली, 1962 की अनुसूची के अंतर्गत फायरिंग शस्त्रों को उनके बोर तथा फायरिंग क्षमता के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। आमतौर पर, वर्ग I (ख) तथा I (ग) को प्रतिबंधित बोर (पी बी) शस्त्र के रूप में उल्लिखित किया जाता है जबकि वर्ग III शस्त्रों को गैर-प्रतिबंधित बोर (एन पी बी) शस्त्र के रूप में उल्लिखित किया जाता है। बंदूकों के ऐसे बोरों की सचित्र सूची वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

प्रश्न 4. बी बी और एन पी बी शस्त्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकारी कौन है?

उत्तर : पी बी शस्त्रों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी केन्द्र सरकार का गृह मंत्रालय है जबकि जिला मजिस्ट्रेटों तथा अन्य जिला प्राधिकारियों को शस्त्र नियमावली, 1962 की अनुसूची-II के अंतर्गत एन पी बी शस्त्रों के लाइसेसिंग प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

प्रश्न 5. क्या मैं किसी भी प्रकार के शस्त्रों के लाइसेंस के लिए सीधे गृह मंत्रालय में आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर : जी, नहीं। पी बी और एन पी बी शस्त्र दोनों के लिए आवेदन केवल संबंधित जिला प्राधिकारी के अधीन लाइसेंसिंग इकाई/कार्यालय के समक्ष भेजा जाता है।

प्रश्न 6. क्या कोई समय सीमा है जिसमें मैं अपना शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर सकता हूँ?

उत्तर : जी, नहीं। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न 7. क्या शस्त्र लाइसेंस संबंधी मेरे आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है?

उत्तर : जी, हां। आपके शस्त्र लाइसेंस संबंधी आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार की अस्वीकृति के कारणों के बारे में केवल मांग जाने पर एक संक्षिप्त विवरण संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आपको प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते लाइसेंसिंग प्राधिकारी की यह राय हो कि इस प्रकार का विवरण प्रदान करना लोकहित में नहीं होगा।

प्रश्न 8. क्या मैं शस्त्रों के लाइसेंस संबंधी अपने आवेदन की अस्वीकृति के विरोध में अपील कर सकता हूँ?

उत्तर : जी, हां। शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 तथा शस्त्र नियमावली, 1962 के तहत अपील तंत्र मुहैया करवाया गया है।

प्रश्न 9. क्या मेरे शस्त्र लाइसेंस की क्षेत्रीय वैधता को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित किया जा सकता है?

उत्तर : जी, हां। शस्त्र नियमावली, 1962 के नियम 53 के तहत शस्त्र लाइसेंस की क्षेत्रीय वैधता का विस्तार करना संभव है। तथापि, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सुरक्षा कारणों के लिए गृह मंत्रालय के परामर्श के पश्चात इस प्रकार के विस्तारों को स्वीकृति प्रदान करने की सलाह दी गई है।

प्रश्न 10. क्या मुझे एयर गनों के लिए शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता है?

उत्तर : एयर गनों, एयर राइफलों तथा एयर पिस्टलों, जो निम्नलिखित परीक्षण अर्थात्, "ऐसी गनों अथवा पिस्टलों से निकले प्रक्षेपक (प्रोजेक्टाइल्स), जो समान कणों के डील-काष्ठ बोर्डों द्वारा निर्मित 12 इंच के वर्गाकार लक्ष्य, जिसमें किसी प्रकार की गांठे न हों, जिसे दोनों तरफ सपाट किया गया हो तथा जिसकी मोटाई ½ इंच हो तथा एयर पिस्टलों और एयर गनों/राइफलों के लिए क्रमश: 1 इंच हो, को बेधने में असमर्थ हो," को शस्त्र लाइसेंस से छूट प्राप्त है।